

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 51/2022

तारीख दायर 24.3.2022

सुरज कुमार पिता चान्दमल जाति धोबी, उम्र 24 वर्ष निवासी बिजौलियों कलां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- यमुनाशंकर पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 2- शांति पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 3- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियों तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री सुरज कुमार धोबी ने जरिये अभिभाषक श्री सुमित जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया, पटवार क्षेत्र लक्ष्मीखेडा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों कलां, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 198 आराजी नंबर 224/88 रकबा 0.2104 हैक्टेयर स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तारीख में शपथपत्र संलग्न हैं।


प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम किशनपुरिया, पटवार क्षेत्र लक्ष्मीखेडा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों कलां, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 198 आराजी नंबर 224/88 रकबा 0.2104 हैक्टेयर की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा